



राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

हमारा प्रयास. सबको आवास

ई-ऑक्शन (ऋणात्मक) के सामान्य नियम एवं शर्तें

1. ई-ऑक्शन द्वारा निस्तारित किये जाने वाले सभी आवास/फ्लेट्स का संक्षिप्त विवरण मण्डल की वेबसाईट पर उपलब्ध होगा, जिसमें से किसी भी आवेदक द्वारा अपनी आवश्यकता एवं पसंद के अनुसार आवास/फ्लेट का चयन कर ऑनलाईन बिड प्रस्तुत की जावेगी।
2. ई-ऑक्शन में ऋणात्मक बिड आमंत्रित की जावेगी तथा मण्डल द्वारा निर्धारित आरक्षित दर पर जिस आवेदक की न्यूनतम ऋणात्मक प्रतिशत होगी, उसे सफल आवेदक माना जावेगा।
3. ई-ऑक्शन के माध्यम से निस्तारित किये जाने वाले सभी आवास/फ्लेट्स दो श्रेणियों में वर्गीकृत है, जिनमें से पहली श्रेणी के आवास/फ्लेट्स में 0 से 25 प्रतिशत तथा दूसरी श्रेणी के आवास/फ्लेट्स में 0 से 50 प्रतिशत तक की छूट अनुज्ञेय होगी। पहली श्रेणी के आवास/फ्लेट्स में 25 प्रतिशत से अधिक ऋणात्मक बिड स्वीकार्य नहीं होगी।
4. यदि कोई आवेदक चाहे तो आरक्षित दर से अधिक अर्थात् धनात्मक बिड भी प्रस्तुत कर सकता है तथा ऐसी स्थिति में ऋणात्मक बिड प्रस्तुत करने वाले आवेदकों के बजाय धनात्मक बिड वाले आवेदक को सफल माना जावेगा।
5. सभी आवेदकों को ई-ऑक्शन की बिड में भाग लेने के लिए रुपये 590 (जीएसटी सहित) जमा कराने होंगे, जो कि नॉन-रिफण्डेबल है।
6. सभी आवेदकों को ई-ऑक्शन की बिड में भाग लेने के लिए उनके द्वारा चयनित आवास/फ्लेट की आरक्षित दर की 5 प्रतिशत राशि अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी। यह राशि ई-ऑक्शन प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व भी जमा करवायी जा सकती है, परन्तु यह राशि ई-ऑक्शन की समाप्ति के निर्धारित समय से पूर्व आवश्यक रूप से मण्डल के बैंक खाते में जमा हो जानी चाहिए अन्यथा आवेदक ई-ऑक्शन में भाग नहीं ले सकेगा।
7. सफल आवेदक की अमानत राशि उसके द्वारा 72 घण्टे में जमा करवायी जाने वाली 10 प्रतिशत राशि में समायोजित कर ली जावेगी तथा असफल आवेदकों की अमानत राशि लौटा दी जावेगी।
8. ई-ऑक्शन में भाग लेने वाले आवेदकों को आवास/फ्लेट की आरक्षित दर के 0.25 प्रतिशत के समतुल्य गुणांक पर बोली लगाने का विकल्प दिया जावेगा।

9. ई-ऑक्शन प्रक्रिया बंद होने के बाद सफल बोलीदाता द्वारा 10 प्रतिशत राशि 72 घण्टे में जमा कराने बाबत मांग पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा तथा यह राशि 72 घण्टे में जमा नहीं करायी जाती है तो उसकी अमानत राशि जब्त करते हुए बिड निरस्त कर दी जावेगी।
10. सफल आवेदक को शेष राशि जमा कराने हेतु 60 दिवस (मांग पत्र जारी करने की तिथि से) का समय दिया जावेगा तथा सम्पूर्ण मांग राशि एवं वांछित प्रपत्र प्रस्तुत करने के बाद 07 दिवस में आवास/प्लेट का भौतिक कब्जा सुपुर्द किया जावेगा।
11. एक वर्ष की अग्रिम लीज राशि भूमि की लागत का 2.5 प्रतिशत, ए.एस.सी. चार्जज कुल लागत का मध्यम आय वर्ग-अ, मध्यम आय वर्ग-ब एवं उच्च आय वर्ग के लिए 3 प्रतिशत राशि देय होगी।
12. स्वतंत्र कॉर्नर आवास में निर्माण लागत की 3 प्रतिशत तथा स्वतंत्र सेमी-कॉर्नर में निर्माण लागत की 2 प्रतिशत राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
13. बहुमंजिले प्लेट्स में केवल भूतल पर निर्मित कॉर्नर प्लेट में निर्माण लागत की 2 प्रतिशत राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
14. स्वतंत्र कॉर्नर आवास तथा प्रथम तल पर निर्मित कॉर्नर प्लेट में अतिरिक्त भूमि होने पर, उस योजना में विकसित आवासीय भूमि की आरक्षित दर की 1.5 गुना दर से अतिरिक्त भूमि की लागत पृथक से देय होगी।
15. (जी+3) से अधिक बहुमंजिले प्लेट्स में खुली/कवर्ड पार्किंग के लिए कुल लागत की 2.5 प्रतिशत एवं स्टिल्ट/बेसमेन्ट पार्किंग के लिए कुल लागत की 5 प्रतिशत राशि पृथक से देय होगी। पार्किंग का नम्बर आवंटन पत्र में अंकित किया जावेगा। (जी+3) से अधिक बहुमंजिले प्लेट्स में परिसर के रख-रखाव हेतु रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी चार्जज नियमानुसार पृथक से देय होंगे।
16. आवंटन पत्र में वर्णित ए.एस.सी. चार्जज, लीज राशि, लीगल चार्जज, नक्शे आदि की राशि पर जीएसटी चार्जज पृथक से नियमानुसार देय होंगे।
17. केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा भविष्य में कर प्रावधानों में किये जाने वाले सभी परिवर्तन नियमानुसार लागू होंगे।
18. सफल बोलीदाता द्वारा माँग राशि 60 दिवस की विनिश्चित अवधि में जमा नहीं कराने की स्थिति में यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद 30 दिवस के भीतर मय प्रक्रिया शुल्क जमा करवाकर समयावृद्धि हेतु आवेदन किया जाता है तो बकाया माँग राशि पर निर्धारित अन्तिम तिथि से 30 दिवस का 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज एवं यदि 30 दिवस पश्चात 31 से 60 दिवस के दौरान आवेदन करता है तो 60 दिवस का ब्याज 12 प्रतिशत वार्षिक दर से वसूल करते हुए सम्बन्धित उप आवासन आयुक्त द्वारा बोली को नियमित किया जा सकेगा। बकाया माँग राशि उक्त समयावधि में ही मण्डल खाते में जमा कराना अनिवार्य होगा।
19. सफल आवेदक को उसके द्वारा प्रस्तुत बिड के अनुसार शेष राशि के मांग पत्र में अधिसूचित 60 दिवस की अवधि गुजरने के बाद अतिरिक्त 60 दिवस पश्चात, अर्थात् मांग पत्र जारी होने की तिथि से कुल 120 दिवस बाद मण्डल द्वारा किसी प्रकार की राशि जमा किया जाना स्वीकार्य नहीं होगा और ना ही ऐसा कोई आवेदन स्वीकार

किया जावेगा तथा नीलामी में प्राप्त बोली को संबंधित उप आवासन आयुक्त द्वारा निरस्त किया जाकर आवेदक की जमा राशि जब्त कर ली जावेगी।

20. उप आवासन आयुक्त को अधिकार होगा कि स्वच्छ व प्रतियोगी बोली प्राप्त नहीं होने पर वह किसी भी समय ई-ऑक्शन प्रक्रिया को स्थगित/निरस्त कर सकेगा।
21. लीज अवधि एवं लीज राशि : आवास/फ्लेट 99 वर्ष की अवधि के लिए लीज पर आवंटित किया जावेगा, जिसकी 02 किश्तें प्रत्येक वर्ष के माह जनवरी एवं जुलाई में जमा करवानी होगी। आवंटन पत्र जारी होने के 30 दिवस में अथवा नया वर्ष शुरू होने से 30 दिवस में पूर्व में वार्षिक लीज राशि की सात गुना (पूर्व में जमा एक वर्ष की लीज के अतिरिक्त) राशि एक मुश्त लीज राशि के रूप में जमा करायी जा सकती है।
22. ई-ऑक्शन के माध्यम से आवास/फ्लेट का निस्तारण "जहां है जैसा है" के आधार पर किया जावेगा। इस संबंध में भविष्य में किसी प्रकार का आक्षेप मान्य नहीं होगा।
23. आवास/फ्लेट का पंजीयन :- ई-ऑक्शन के माध्यम से सफल आवेदक को आवंटित आवास/फ्लेट का भौतिक कब्जा संभलाने के पश्चात, आवंटी द्वारा आवेदन किये जाने पर 30 दिवस की अवधि में लीज डीड (Registry) पंजीयन हेतु संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता कार्यालय द्वारा जारी कर दिये जावेंगे।
24. लीज राशि व एकमुश्त लीज राशि पर नियमानुसार सेवा एवं वस्तुकर (GST) देय होगा।
25. किसी भी विवाद की स्थिति में ई-ऑक्शन में सम्मिलित किसी भी आवास/फ्लेट्स को विलोपित किया जा सकता है।
26. बोलीदाता एक या एक से अधिक आवास/फ्लेट ई-ऑक्शन द्वारा खरीद सकता है एवं एक ही परिवार के अलग-अलग सदस्य चाहे पति-पत्नि ही क्यों नहीं हो, आवास/फ्लेट ई-ऑक्शन द्वारा खरीद सकता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक आवास/फ्लेट के लिए आवेदक/बोलीदाता को अलग से अमानत राशि उस आवास/फ्लेट की बोली में भाग लेने से पूर्व ऑन-लाईन जमा करानी अनिवार्य होगी। बोलीदाता ई-ऑक्शन द्वारा अवयस्क के नाम से भी आवास/फ्लेट्स खरीद सकता है। (परिवार की परिभाषा – परिवार में पति/पत्नि, माता-पिता, अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्री और कानूनी रूप से दत्तक पुत्र अवयस्क पुत्र/अविवाहित पुत्री सम्मिलित होंगे।)
27. यदि किसी कम्पनी अथवा फर्म के नाम से बोली लगाई जाती है तो ई-ऑक्शन में भाग लेने से पूर्व ऐसी कम्पनी अथवा फर्म के रजिस्ट्रेशन संबंधी समस्त दस्तावेज एवं बोली लगाने वाले अधिकृत व्यक्ति के पक्ष में फर्म/कम्पनी द्वारा पारित प्रस्ताव के दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा।
28. सफल बोलीदाता यदि परिवार के अन्य सदस्य के नाम से लीज डीड बनवाना चाहता है तो यह परिवर्तन आवास/फ्लेट की सम्पूर्ण मांग राशि जमा होने के 30 दिवस में 10,000/- रुपये शुल्क देकर करा सकता है।
29. ई-ऑक्शन में एकल आवेदक/बोलीदाता होने की स्थिति में भी संबंधित उप आवासन आयुक्त द्वारा अपने स्तर पर ही बोली स्वीकृत की जावेगी।

30. सफल बोलीदाता द्वारा 72 घण्टे में 10 प्रतिशत राशि जमा कराने के पश्चात संबंधित उप आवासन आयुक्त द्वारा बोली की स्वीकृति अधिकतम 07 दिवस में ऑन-लाईन जारी की जावेगी। तत्पश्चात सफल आवेदक द्वारा आवंटन पत्र भी ऑन-लाईन ही डारुनलोड किया जावेगा।
31. बिड राशि के अतिरिक्त, वसूलनीय लीज की राशि आवास/फ्लेट की आरक्षित दर में सम्मिलित की गई भूमि की लागत तथा ए0एस0सी0 चार्जेज एवं कॉर्नर/सेमी-कॉर्नर चार्जेज की राशि की गणना कुल आरक्षित दर के आधार पर की जावेगी।
32. मण्डल की ई-ऑक्शन वेबसाइट पर आवास/फ्लेट्स से संबंधित अपलोड की गयी सूचनायें (आवास/फ्लेट की साईज, आय वर्ग, लागत, आवास संख्या, फ्लोर, Accommodation, अपार्टमेन्ट का नाम, लोकेशन इत्यादि) किन्हीं अपरिहार्य कारणों से गलत होने की स्थिति में, सही सूचनायें आवास/फ्लेट्स की मौके की स्थिति के अनुसार ही मान्य होगी एवं इस संबंध में आवेदक/बोलीदाता द्वारा किया जाना वाला कोई भी प्रतिवाद/शर्त मण्डल को स्वीकार्य नहीं होगा।
33. ई-ऑक्शन से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल का निर्णय अन्तिम होगा, जो दोनों पक्ष-मण्डल एवं बोलीदाता को मान्य होगा।
34. मैंने ई-ऑक्शन में भाग लेने से पूर्व मण्डल द्वारा ई-ऑक्शन की समस्त शर्तें एवं नियम भली-भांति पढ़ एवं समझ लिये हैं, जो मुझे स्वीकार्य हैं एवं इस संबंध में भविष्य में मेरी तरफ से कोई वाद/विवाद उत्पन्न नहीं किया जावेगा।

ई-ऑक्शन की प्रक्रिया :-

- ई-ऑक्शन में भाग लेने के लिए बोलीदाता को सर्वप्रथम मण्डल की वेबसाइट पर उपलब्ध सम्बंधित लिंक पर जाकर खोलना होगा।
- मण्डल द्वारा वर्तमान में कुल 42 शहरों में ई-ऑक्शन से आवास/फ्लेट बेचे जा रहे हैं, आवेदक जिस शहर में आवास/फ्लेट खरीदने का इच्छुक है सम्बंधित शहर का चयन कर, उक्त शहर के लिंक पर क्लिक करना होगा तत्पश्चात् योजना तथा आवास/फ्लेट संख्या (जिसके लिए बिड प्रस्तुत किया जाना है) का चयन कर सम्बंधित लिंक को खोलना होगा।
- आवास/फ्लेट की वेबसाइट पर अंकित मूल्य का 5% अमानत राशि तथा बिड फीस रु. 590/- (नॉन रिफन्डेबल) मण्डल के खाते में जमा करानी होगी।
- राशि जमा होने के उपरान्त बिड प्रस्तुत करने में आवेदक वेबसाइट पर उपलब्ध प्रक्रिया का पालन करते हुए अपनी बिड प्रस्तुत कर सकता है।
- बिड प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो की सहायता ली जा सकती है।

नोट :-ई-ऑक्शन में भाग लेने हेतु राजस्थान आवासन मण्डल की वेबसाइट www.urban.rajasthan.gov.in.rhb पर क्लिक करें।



राजस्थान आवासन मण्डल हमारा प्रयास. सबको आवास

ई-ऑक्शन के प्रमुख नियम एवं शर्तें:-

- ई-ऑक्शन द्वारा निस्तारित किये जाने वाले सभी आवास/फ्लेट्स का संक्षिप्त विवरण मण्डल की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, जिसमें से किसी भी आवेदक द्वारा अपनी आवश्यक एवं पसंद के अनुसार आवास/फ्लेट का चयन कर ऑनलाईन बिड प्रस्तुत की जावेगी।
- ई-ऑक्शन में ऋणात्मक बिड आमंत्रित की जावेगी तथा मण्डल द्वारा निर्धारित आरक्षित दर पर जिस आवेदक की न्यूनतम ऋणात्मक प्रतिशत होगी, उसे सफल आवेदक माना जावेगा।
- ई-ऑक्शन के माध्यम से निस्तारित किये जाने वाले सभी आवास/फ्लेट्स दो श्रेणियों में वर्गीकृत हैं, जिनमें से पहली श्रेणी के आवास/फ्लेट्स में 0 से 25 प्रतिशत तथा दूसरी श्रेणी के आवास/फ्लेट्स में 0 से 50 प्रतिशत तक की छूट अनुज्ञेय होगी। पहली श्रेणी के आवास/फ्लेट्स से अधिक ऋणात्मक बिड स्वीकार्य नहीं होगी।
- यदि कोई आवेदक चाहे तो आरक्षित दर से अधिक अर्थात् घनात्मक बिड भी प्रस्तुत कर सकता है तथा ऐसी स्थिति में ऋणात्मक बिड प्रस्तुत करने वाले आवेदकों के बजाय घनात्मक बिड वाले आवेदकों को सफल माना जावेगा।
- सभी आवेदकों को ई-ऑक्शन की बिड में भाग लेने के लिए रुपये 590 (जीएसटी सहित) जमा कराने होंगे, जो कि नॉन-रिफण्डेबल है।
- सभी आवेदकों को ई-ऑक्शन की बिड में भाग लेने के लिए उनके द्वारा चयनित आवास/फ्लेट की आरक्षित दर की 5 प्रतिशत राशि अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी। यह राशि ई-ऑक्शन प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व भी जमा करवायी जा सकती है, परन्तु यह राशि ई-ऑक्शन की समाप्ति के निर्धारित समय से पूर्व अवश्यक रूप से मण्डल के बैंक खाते में जमा हो जानी चाहिए अन्यथा आवेदक ई-ऑक्शन में भाग नहीं ले सकेगा।
- सफल आवेदक की अमानत राशि उसके द्वारा 72 घण्टे में जमा करवायी जाने वाली 10 प्रतिशत राशि में समायोजित कर ली जावेगी तथा असफल आवेदकों की अमानत राशि लौटा दी जावेगी।
- ई-ऑक्शन में भाग लेने वाले आवेदकों को आवास/फ्लेट की आरक्षित दर के 0.25 प्रतिशत के समतुल्य गुणांक पर बोली लगाने का विकल्प दिया जावेगा।
- ई-ऑक्शन प्रक्रिया बंद होने के बाद सफल बोलीदाता द्वारा 10 प्रतिशत राशि 72 घण्टे में जमा कराने बाबत मांग पत्र डाऊनलोड किया जा सकेगा तथा यह राशि 72 घण्टे में जमा नहीं करायी जाती है तो उसकी अमानत राशि जब्त करते हुए बिड निरस्त कर दी जावेगी।
- सफल आवेदक को शेष राशि जमा कराने हेतु 60 दिवस (मांग पत्र जारी करने की तिथि से) का समय दिया जावेगा तथा सम्पूर्ण मांग राशि एवं वांछित पत्र प्रस्तुत करने के बाद 07 दिवस में आवास/फ्लेट का भौतिक कब्जा सुपुर्द किया जावेगा।
- एक वर्ष की अग्रिम लीज राशि भूमि की लागत का 2.5 प्रतिशत, ए.एस.सी. चार्जज कूल लागत का मध्यम आय वर्ग-अ, मध्यम आय वर्ग-ब एवं उच्च आय वर्ग के लिए 3 प्रतिशत राशि देय होगी।
- स्वतंत्र कॉन्फॉर्म आवास में निर्माण लागत की 3 प्रतिशत तथा स्वतंत्र सेमी-कॉन्फॉर्म में निर्माण लागत की 2 प्रतिशत राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
- बहुमंजिले फ्लेट्स में केवल भूतल पर निर्मित कॉन्फॉर्म फ्लेट में निर्माण लागत की 2 प्रतिशत राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
- स्वतंत्र कॉन्फॉर्म आवास तथा प्रथम तल पर निर्मित कॉन्फॉर्म फ्लेट में अतिरिक्त भूमि होने पर, उस योजना में विकसित आवासीय भूमि की आरक्षित दर की 1.5 गुना दर से अतिरिक्त भूमि की लागत पृथक से देय होगी।
- (जी+3) से अधिक बहुमंजिले फ्लेट्स में खुली/कवर्ड पार्किंग के लिए कुल लागत की 2.5 प्रतिशत एवं स्टिच/बेसमेंट पार्किंग के लिए कुल लागत की 5 प्रतिशत राशि पृथक से देय होगी। पार्किंग का नम्बर आवंटन पत्र में अंकित किया जावेगा। (जी+3) से अधिक बहुमंजिले फ्लेट्स में परिसर के रख-रखाव हेतु रेजीडेंट वेलफेयर सोसायटी चार्जज नियमानुसार पृथक से देय होंगे।
- आवंटन पत्र में वर्णित ए.एस.सी. चार्जज, लीज राशि, लीगल चार्जज, नक्शे आदि की राशि पर जीएसटी चार्जज पृथक से नियमानुसार देय होंगे।
- केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा भविष्य में कर प्रावधानों में किये जाने वाले सभी परिवर्तन नियमानुसार लागू होंगे।
- सफल बोलीदाता द्वारा मांग राशि 60 दिवस की विनिश्चित अवधि में जमा नहीं कराने की स्थिति में यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद 30 दिवस के भीतर मय प्रक्रिया शुल्क जमा करवाकर समयावधि हेतु आवेदन किया जाता है तो बकाया मांग राशि पर निर्धारित अन्तिम तिथि से 30 दिवस का 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज एवं यदि 30 दिवस पश्चात 31 से 60 दिवस के दौरान आवेदन करता है तो 60 दिवस का ब्याज 12 प्रतिशत वार्षिक दर से वसूल करते हुए सम्बन्धित उप आवासन आयुक्त द्वारा बोली को नियमित किया जा सकेगा। बकाया मांग राशि उक्त समयावधि में ही मण्डल खाते में जमा कराना अनिवार्य होगा।
- सफल आवेदक को उसके द्वारा प्रस्तुत बिड के अनुसार शेष राशि के मांग पत्र में अधिसूचित 60 दिवस की अवधि गुजरने के बाद अतिरिक्त 60 दिवस पश्चात, अर्थात् मांग पत्र जारी होने की तिथि से कुल 120 दिवस बाद मण्डल द्वारा किसी प्रकार की राशि जमा किया जाना स्वीकार्य नहीं होगा और ना ही ऐसा कोई आवेदन स्वीकार किया जावेगा तथा नतीलाभी में प्राप्त बोली को

- संबंधित उप आवासन आयुक्त द्वारा निरस्त किया जाकर आवेदक की जमा राशि जब्त कर ली जावेगी।
- उप आवासन आयुक्त को अधिकार होगा कि स्वच्छ व प्रतियोगी बोली प्राप्त नहीं होने पर वह किसी भी समय ई-ऑक्शन प्रक्रिया को स्थगित/निरस्त कर सकेगा।
 - लीज अवधि एवं लीज राशि: आवास/फ्लेट 99 वर्ष की अवधि के लिए लीज पर आवंटित किया जावेगा, जिसकी 02 किश्तें प्रत्येक वर्ष के माह जनवरी एवं जुलाई में जमा करवानी होगी। आवंटन पत्र जारी होने के 30 दिवस में अथवा नया वर्ष शुरू होने से 30 दिवस में पूर्व में वार्षिक लीज राशि की सात गुना (पूर्व में जमा एक वर्ष की लीज के अतिरिक्त) राशि एक मुश्त लीज राशि के रूप में जमा करायी जा सकती है।
 - ई-ऑक्शन के माध्यम से आवास/फ्लेट का निस्तारण "जहां है जैसा है" के आधार पर किया जावेगा। इस संबंध में भविष्य में किसी प्रकार का आक्षेप मान्य नहीं होगा।
 - आवास/फ्लेट का पंजीयन :- ई-ऑक्शन के माध्यम से सफल आवेदक को आवंटित आवास/फ्लेट का भौतिक कब्जा संभलाने के पश्चात, आवंटी द्वारा आवेदन किये जाने पर 30 दिवस की अवधि में लीज डीड (सम्हपेजतल) पंजीयन हेतु संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता कार्यालय द्वारा जारी कर दिये जावेगे।
 - लीज राशि व एकमुश्त लीज राशि पर नियमानुसार सेवा एवं वस्तुकर (ङैज) देय होगा।
 - किसी भी विवाद की स्थिति में ई-ऑक्शन में सम्मिलित किसी भी आवास/फ्लेट्स को विलोपित किया जा सकता है।
 - बोलीदाता एक या एक से अधिक आवास/फ्लेट ई-ऑक्शन द्वारा खरीद सकता है एवं एक ही परिवार के अलग-अलग सदस्य चाहे पति-पत्नि ही क्यों नहीं हो, आवास/फ्लेट ई-ऑक्शन द्वारा खरीद सकता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक आवास/फ्लेट के लिए आवेदक/बोलीदाता को अलग से अमानत राशि उस आवास/फ्लेट की बोली में भाग लेने से पूर्व ऑन-लाईन जमा करानी अनिवार्य होगी। बोलीदाता ई-ऑक्शन द्वारा अवश्यक के नाम से भी आवास/फ्लेट्स खरीद सकता है। (परिवार की परिभाषा - परिवार में पति/पत्नि, माता-पिता, अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्री और कानूनी रूप से दत्तक पुत्र अवयस्क पुत्र/अविवाहित पुत्री सम्मिलित होंगे।)
 - यदि किसी कम्पनी अथवा फर्म के नाम से बोली लगाई जाती है तो ई-ऑक्शन में भाग लेने से पूर्व ऐसी कम्पनी अथवा फर्म के रजिस्ट्रेशन संबंधी समस्त दस्तावेज एवं बोली लगाने वाले अधिकृत व्यक्तिके पक्ष में फर्म/कम्पनी द्वारा पारित प्रस्ताव के दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा।
 - सफल बोलीदाता यदि परिवार के अन्य सदस्य के नाम से लीज डीड बनवाना चाहता है तो यह परिवर्तन आवास/फ्लेट की सम्पूर्ण मांग राशि जमा होने के 30 दिवस में 10,000/- रुपये शुल्क देकर करा सकता है।
 - ई-ऑक्शन में एकल आवेदक/बोलीदाता होने की स्थिति में भी संबंधित उप आवासन आयुक्त द्वारा अपने स्तर पर ही बोली स्वीकृत की जावेगी।
 - सफल बोलीदाता द्वारा 72 घण्टे में 10 प्रतिशत राशि जमा कराने के पश्चात संबंधित उप आवासन आयुक्त द्वारा बोली की स्वीकृति अधिकतम 07 दिवस में ऑन-लाईन जारी की जावेगी। तत्पश्चात सफल आवेदक द्वारा आवंटन पत्र भी ऑन-लाईन ही डाऊनलोड किया जावेगा।
 - बिड राशि के अतिरिक्त, वसुलीय लीज की राशि आवास/फ्लेट की आरक्षित दर में सम्मिलित की गई भूमि की लागत तथा ए.एस.सी. चार्जज एवं कॉन्फॉर्म/सेमी-कॉन्फॉर्म चार्जज की राशि की गणना कुल आरक्षित दर के आधार पर की जावेगी।
 - मण्डल की ई-ऑक्शन वेबसाइट पर आवास/फ्लेट्स से संबंधित अपलोड की गयी सूचनायें (आवास/फ्लेट की साईज, आय वर्ग, लागत, आवास संख्या, प्लोर, [बबवउउवककजवदए अपार्टमेंट] का नाम, लोकेशन इत्यादि) किन्हीं अपरिहार्य कारणों से गलत होने की स्थिति में, सही सूचनायें आवास/फ्लेट्स की मौके की स्थिति के अनुसार ही मान्य होगी एवं इस संबंध में आवेदक/बोलीदाता द्वारा किया जाना वाला कोई भी प्रत्यावाद/शर्त मण्डल को स्वीकार्य नहीं होगा।
 - ई-ऑक्शन से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल का निर्णय अन्तिम होगा, जो दोनों पक्ष-मण्डल एवं बोलीदाता को मान्य होगा।
 - मैने ई-ऑक्शन में भाग लेने से पूर्व मण्डल द्वारा ई-ऑक्शन की समस्त शर्तें एवं नियम भली-भांति पढ़ एवं समझ लिये हैं, जो मुझे स्वीकार्य हैं एवं इस संबंध में भविष्य में मेरी तरफ से कोई वाद/विवाद उत्पन्न नहीं किया जावेगा।

ई-ऑक्शन की प्रक्रिया :-

- ई-ऑक्शन में भाग लेने के लिए बोलीदाता को सर्वप्रथम मण्डल की वेबसाइट पर उपलब्ध सम्बंधित लिंक पर जाकर खोलना होगा।
- मण्डल द्वारा वर्तमान में कुल 42 शहरों में ई-ऑक्शन से आवास/फ्लेट बेचे जा रहे हैं, आवेदक जिस शहर में आवास/फ्लेट खरीदने का इच्छुक है सम्बंधित शहर का चयन कर, उक्त शहर के लिंक पर क्लिक करना होगा तत्पश्चात् योजना तथा आवास/फ्लेट संख्या (जिसके लिए बिड प्रस्तुत किया जाना है) का चयन कर सम्बंधित लिंक को खोलना होगा।
- आवास/फ्लेट की वेबसाइट पर अंकित खाल का 5: अमानत राशि तथा बिड फीस रु. 590/- (नॉन रिफण्डेबल) मण्डल के मूल्या में जमा करानी होगी।
- राशि जमा होने के उपरान्त बिड प्रस्तुत करने में आवेदक वेबसाइट पर उपलब्ध प्रक्रिया का पालन करते हुए अपनी बिड प्रस्तुत कर सकता है।
- बिड प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो की सहायता ली जा सकती है।